

खास-खबरें

जनजातीय संस्थानों का आयुक्त तरुण राठी ने किया निरीक्षण



नईदुनिया, प्रतिनिधि, विदिशा: जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त तरुण राठी ने जिले के जनजातीय वर्ग के लिए संचालित विभिन्न संस्थानों का भ्रमण कर योजनाओं एवं शासकीय व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाओं की ओर अधिक प्रभावी बनाने तथा शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। आयुक्त श्री राठी ने वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय कन्या प्राथमिक आश्रमशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने आश्रमशाला में उपस्थित छात्राओं से संवाद कर उनकी पढ़ाई, रहन-सहन, भोजन एवं उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। छात्राओं से बातचीत के दौरान उन्होंने उनकी शैक्षणिक गतिविधियों एवं आश्रमशाला में मिल रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। आयुक्त श्री राठी ने आश्रमशाला के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर वहां संचालित गतिविधियों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पुस्तकालय, रसोईघर, शयन कक्ष, अधीक्षक कार्यालय सहित अन्य कक्षों का निरीक्षण किया तथा छात्राओं के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आश्रमशाला में स्वच्छता, अनुशासन एवं छात्राओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

नवांकुर विद्यालय की पूर्व छात्रा माही का एमबीबीएस में चयन



नईदुनिया, प्रतिनिधि, गंजबासौदा: नगर के वार्ड नंबर 10 निवासी नवांकुर विद्यालय की पूर्व छात्रा कुमारी माही अहिंवार ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से एमबीबीएस में प्रवेश हासिल किया है। उनका चयन नीचप स्थित वॉरेंड कुमार सखलेचा शासकीय मेडिकल कॉलेज में हुआ है। इस उपलब्धि से उनके परिवार, शिक्षकों और विद्यालय में पूजाओं में खुशी का माहौल है। माही ने नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई नवांकुर विद्यालय से पूरी की। विद्यार्थी जीवन से ही वह परिश्रमी और मेधावी छात्रा रही हैं। उन्होंने नीट यूजी-2026 की तैयारी के दौरान किसी बाहरी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया। घर पर रहकर स्वाध्याय और नियमित मेहनत के दम पर उन्होंने यह सफलता हासिल की।

उज्जैन में 19 ग्राम एमडी ड्रस के साथ युवक गिरफ्तार, 1.90 लाख का नश जळ



नईदुनिया, प्रतिनिधि, उज्जैन: महाकाल थाना पुलिस ने शुक्रवार को 19 ग्राम एमडी ड्रस के साथ 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 1 लाख 90 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस आरोपित से

पृछताछ कर रही है कि वह ड्रस कहां से लाया था और इसकी सप्लाई किन लोगों तक की जानी थी। पुलिस के अनुसार, 16 अक्टूबर को महाकाल थाना पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान लालपुल स्थित जंगली पीर दरगाह के पास एक युवक संदिग्ध हालत में भागता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से 19 ग्राम एमडी ड्रस बरामद हुई।

डकैती के प्रकरण में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार
नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर: लगभग एक वर्ष पूर्व हुई डकैती के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारणेकर एवंएसडीओपी डॉ. नागेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा थाना मक्सी एवं थाना बेरछा पुलिस ने डकैती के प्रकरण में आरोपी चेतन छावड़ी पिता छीतरमल छावड़ी, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम रूलकी कंजर डेरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उनसे लगभग 12 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया जा चुका है। प्रकरण में एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

स्पेशल खबर

कलेक्टर ने योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने, जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती अपनाने पर दिया जोर

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत अधिकारियों ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर: मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शुक्रवार को भैरूदा विकासखंड के ग्राम पिपलानी में शिविर और भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कलेक्टर बालागुरू के., पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सक्सेना और जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सर्जना यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों को आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। शिविर में पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया भी की गई।

योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूकता जरूरी: कलेक्टर बालागुरू के. ने ग्रामीणों से कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का

विधायक भार्गव की समझाइश पर माने कोसमी के आदिवासी, पदयात्रा खत्म कर बसों से लौटे गांव

सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक के बाद बनी सहमति



► **प्रभावित परिवारों को जमीन के पट्टे देने और वन विभाग की कार्रवाई की जांच का आश्वासन**

नईदुनिया प्रतिनिधि, भैरूदा: सीहोर जिले की भैरूदा तहसील के ग्राम कोसमी के आदिवासियों ने अपनी मांगों को लेकर भोपाल की ओर निकाली जा रही पदयात्रा समाप्त कर दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक के बाद बुधनी विधायक रमाकांत भार्गव आंदोलनरत ग्रामीणों के बीच पहुंचे। उनकी समझाइश और सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद ग्रामीण बसों से अपने गांव कोसमी लौट गए।

मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक: कोसमी में वन विकास

निगम की कार्रवाई के विरोध में आदिवासी परिवार आंदोलन कर रहे थे। स्थिति को देखते हुए गुरुवार देर शाम मुख्यमंत्री निवास पर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, आदिवासी वित्त विकास निगम की अध्यक्ष निर्मला बरेला, निगम अध्यक्ष रवि मालवीय और रघुनाथ सिंह भाटी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बैठक में प्रभावित आदिवासी परिवारों के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी समस्याएं रखीं।

जमीन के पट्टे और जांच का आश्वासन: भाजपा सूत्रों के अनुसार, बैठक में प्रभावित आदिवासी परिवारों को सिंहपुर

गांव में जमीन के पट्टे देने का आश्वासन दिया गया है, ताकि वे अपने आवास बना सकें। इसके अलावा कोसमी में वन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई की उच्चस्तरीय जांच कराने की बात भी कही गई है।

12 परिवारों के मकान तोड़ने से भड़का था आक्रोश: ग्रामीणों के विरोध की शुरुआत 11 अक्टूबर को हुई वन विकास निगम की कार्रवाई के बाद हुई थी। ग्रामीणों के अनुसार, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान 12 आदिवासी परिवारों के मकान तोड़ दिए गए थे। इससे उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने यह आरोप भी लगाया था कि उनके पीने के पानी के कुओं को पाट दिया गया।

दीक्षांत समारोह में अनुषिका को मिली डिग्री



बरेली। राजेंद्र कुमार जैन एडवोकेट की पुत्री अनुषिका जैन को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के दीक्षांत समारोह में डिग्री प्रदान की गई। 15 अक्टूबर 2026 को आयोजित समारोह में कुलपति डॉ. अरविंद गुप्ता ने अनुषिका को डिग्री देकर सम्मानित किया। अनुषिका की इस शैक्षणिक उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है। उनकी सफलता पर परिजनों, मित्रों और शुभचिंतकों ने बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। परिवारजनों ने कहा कि अनुषिका की उपलब्धि उनके परिश्रम, लगन और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अनुषिका भविष्य में भी इसी तरह आगे बढ़ते हुए परिवार और समाज का नाम रोशन करेंगी। बेटी की इस सफलता से परिवार में गर्व और प्रसन्नता का माहौल है। उनकी उपलब्धि विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ अवसर लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं।

सोयाबीन की हर बोरी पर मांगता था 10 रुपये...

लोकायुक्त ने मंडी उप निरीक्षक और साथी कर्मचारी को 4 हजार की रिश्तत लेते पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार को माकड़ोन अनाज मंडी में कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक रोशन आर्य और उसके साथी आउटसोर्स कर्मचारी संतोष भाटी को 4 हजार रुपये की रिश्तत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोप है कि मंडी उप निरीक्षक सोयाबीन की बोरियों के हिसाब से व्यापारी से रिश्तत मांग रहा था। लोकायुक्त की टीम ने मंडी परिसर में कार्रवाई कर रिश्तत की राशि बरामद की है।

लोकायुक्त उज्जैन के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार दीक्षित के अनुसार, ग्राम रूपाखेड़ी, जिला उज्जैन निवासी मंडी व्यापारी योगेश राठौर ने 14 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वह माकड़ोन मंडी से सोयाबीन खरीदता है। इस दौरान मंडी उप निरीक्षक रोशन आर्य उससे प्रत्येक बोरी पर 10 रुपये की मांग करता था। रुपये नहीं देने पर सोयाबीन से भरी गाड़ी नहीं जाने देने की बात कही जाती



थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि मंडी शुल्क देने के बावजूद उससे अलग से अवैध रकम मांगी जा रही थी।

शिकायत मिलने पर लोकायुक्त के उप पुलिस अधीक्षक राजेश पाठक ने मामले का सत्यापन किया। जांच के दौरान शिकायत सही पाए जाने के बाद शुक्रवार, 16 अक्टूबर को दूप की योजना बनाई गई। लोकायुक्त कार्यालय की 10 सदस्यीय टीम ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। योजनानुसार, शिकायतकर्ता

योगेश राठौर रिश्तत की 4 हजार रुपये की राशि लेकर माकड़ोन मंडी पहुंचा। जैसे ही उसने यह रकम मंडी उप निरीक्षक रोशन आर्य को दी, आर्य ने रुपये अपने साथी आउटसोर्स कर्मचारी संतोष भाटी को सौंप दिए। इसी दौरान पहले से मौजूद लोकायुक्त टीम ने रिश्तत को पकड़ लिया। टीम ने दोनों की पूरी राशि भी बरामद कर ली। लोकायुक्त के अनुसार, आरोपी रोशन आर्य पिता पुनमचंद दास निवासी ग्वालियर में मंडी उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ है, जबकि संतोष भाटी पिता प्रहलाद भाटी निवासी माकड़ोन आउटसोर्स कर्मचारी है। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

ट्रैप दल में उप पुलिस अधीक्षक राजेश पाठक और दीपक सेजवार सहित प्रधान आरक्षक हितेश ललावत तथा आरक्षक शिवकुमार शर्मा, श्याम शर्मा, इमरार खान और उमेश जाटव शामिल रहे। कार्रवाई में साक्षीगण सहित कुल 10 सदस्यीय टीम मौजूद थी।

बाइक सवारों को बचाने में खाई में गिरी बस, दो की मौत; कई घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: माकड़ोन फटे पर शुक्रवार को बाइक सवारों को बचाने के प्रयास में आगर से उज्जैन आ रही शर्मा ट्रैलर्स की बस अनियंत्रित हो गिरकर सड़क किनारे खाई में जा पड़ी। हादसे में दो बाइक सवारों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बस में सवार करीब आधा दर्जन यात्रियों के भी घायल होने की जानकारी है। जागरूकी के अनुसार, बस क्रमांक एमपी-70-पी-0161

परिशिष्ट B-संख्यांक 13 जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल समम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल (आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु) आदेशीयसं P/608/2026 बाबुलाल बनम रामपूत NEXT DATE: 20-11-2026 प्रेक्षित:-हरगोविंद, रव, वनीम, पता- ग्राम हिनोतिया, तहसील गौरनगर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश। वह कि प्राप्ति बाबुलाल ने आगेके विरुद्ध आदेशीयसं P/608/2026 के लिए वाद सविनय किया है, आगेको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसजता/हॉकिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे लीडर (अधिकृत) द्वारा उपसजता हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेशा दिव्य गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी साराजन कथनों का उत्तर दे सके। आगेको वह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिश्ठा का सविनय कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आगेके कथों वा शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिश्ठा वा मुजर्राई का दावा वा प्रतिवदा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर सबे का आपके कथों वा शक्ति में हो अपनी प्रतिश्ठा वा मुजरा के दावे वा प्रतिवेद के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेजों की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आगेको सूचित किया जाता है कि यदि आप उत्तर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निद्वारा आपकी अनुमतिपूर्व में किया जायेगा। साथ ही वह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मायस्य के मायस्य से करने के से करने के इच्छुक है तो पीठासीन अधिकारी के अगतत करावे। वह आज तारीख 16-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायाधी की मुद्रा लगाकर दिया गया है। कृपया ध्यान दें:-यदि किसी अगरवाहा उक्त तिथि को न्यायालय आगवा पर रहेगा तो आगामी कावदिस पर वह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।	परिशिष्ट B-संख्यांक 13 जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल समम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल (आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु) आदेशीयसं P/608/2026 बाबुलाल बनम रामपूत NEXT DATE: 20-11-2026 प्रेक्षित:-हरगोविंद, रव, वनीम, पता- ग्राम हिनोतिया, तहसील गौरनगर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश। वह कि प्राप्ति बाबुलाल ने आगेके विरुद्ध आदेशीयसं P/608/2026 के लिए वाद सविनय किया है, आगेको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसजता/हॉकिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे लीडर (अधिकृत) द्वारा उपसजता हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेशा दिव्य गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी साराजन कथनों का उत्तर दे सके। आगेको वह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिश्ठा का सविनय कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आगेके कथों वा शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिश्ठा वा मुजर्राई का दावा वा प्रतिवदा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर सबे का आपके कथों वा शक्ति में हो अपनी प्रतिश्ठा वा मुजरा के दावे वा प्रतिवेद के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेजों की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आगेको सूचित किया जाता है कि यदि आप उत्तर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निद्वारा आपकी अनुमतिपूर्व में किया जायेगा। साथ ही वह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मायस्य के मायस्य से करने के से करने के इच्छुक है तो पीठासीन अधिकारी के अगतत करावे। वह आज तारीख 16-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायाधी की मुद्रा लगाकर दिया गया है। कृपया ध्यान दें:-यदि किसी अगरवाहा उक्त तिथि को न्यायालय आगवा पर रहेगा तो आगामी कावदिस पर वह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।
ज्योति राजपूत, न्यायाधीश समम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल	ज्योति राजपूत, न्यायाधीश समम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल

बस और ट्रक में भिड़ंत में छात्रा गंभीर घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बरेली: नगर में शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर गुरुकुल स्कूल की बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। टक्कर के बाद अनियंत्रित बस रिव्हाइडर पर चढ़ गई। हादसे के समय बस में स्कूली बच्चे सवार थे। दुर्घटना में करीब आधा दर्जन बच्चों को चोटें आईं, जबकि छह वर्षीय एक बच्ची के बाएं हाथ में गंभीर चोट लगी है। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया।

जागरूकी के अनुसार, बस क्रमांक एमपी 38 पी 0252 बच्चों को लेकर जा रही थी। क्रासिंग के दौरान बस की ट्रक से भिड़ंत हो

गई। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि बस गलत दिशा से आ रही थी, जबकि ट्रक अपनी निर्धारित दिशा में चल रहा था। हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

गुरुकुल स्कूल के वाहन से जुड़ी यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले जैन मोहल्ले में टाट लीं मेजिक से बच्चों को उतारने के दौरान भी हादसा होते-होते बचा था। नगर में स्कूली वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने और यातायात संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने

की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। लगातार ऐसी घटनाओं से बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है।

पुलिस ने शुरू की जांच: दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बताया गया कि हादसे के बाद बस और ट्रक के चालक मौके से फरार हो गए। घटना ने स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने के लिए वाहनों का नियमित जांच, निर्धारित क्षमता का बैठाना और यातायात नियमों के अनुपालन पर ध्यान देना जरूरी है।

कीटनाशकों का आवश्यकतानुसार सीमित उपयोग करने और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। साथ ही फसल कटाई के बाद नरवाई नहीं जलाने तथा उसका उचित प्रबंधन करने की समझाइश दी। शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कलेक्टर ने ग्रामीणों से बेटों और बेटियों को समान अवसर देने और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षा परिवार, समाज और देश की प्रगति की बुनियाद है।

एसपी ने दी साइबर सुरक्षा की जानकारी: पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सक्सेना ने ग्रामीणों को सामान्य कानूनों, साइबर सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने और अपनी गोपनीय जानकारी किसी से साझा नहीं करने की सलाह दी।



होने वाली फसलों की खेती के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए, ताकि उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

कीटनाशकों का सीमित उपयोग करने की समझाइश: किसानों से चर्चा के दौरान कलेक्टर ने कीटनाशकों के अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग से मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से